

कार्यालय प्रोजेक्ट डायरेक्टर (आत्मा) सह उप संचालक कृषि
जिला-बेमेतरा (छ.ग.)

क्रमांक/कृषि/एक्स.रि./आत्मा/सं.नियुक्ति/2018-19/ 8631

बेमेतरा दिनांक 07.02.19

आदेश

संचालनालय कृषि छ.ग. रायपुर के पत्र क्रमांक/एक्स.रि./आत्मा स्टाफ/21-3/17-18/118 रायपुर दिनांक 27.05.2017 में दिये गये निर्देशानुसार एक्सटेंशन रिफार्म्स (आत्मा) योजना में संविदा पद पर नियुक्ति हेतु कार्यालय परियोजना संचालक (आत्मा) सह उप संचालक कृषि जिला बेमेतरा के विज्ञापन क्रमांक/स्था/आत्मा/विस./सं.भर्ती/2017-18/5206 बेमेतरा दिनांक 22.09.2017 को जारी विज्ञापन व चयन समिति की जांच तथा कलेक्टर महोदय के अनुमोदन उपरांत **ए.टी.एम.** पद हेतु चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जाता है:-


क्र.	आवेदक का नाम /पिता /पति का नाम	चयन वर्ग	स्थायी पता	पदस्थापना स्थल
1	सुश्री समीक्षा बैस /प्रहलाद सिंह बैस	सामान्य (महिला)	वार्ड नं. 10, बी.टी. आई. कालोनी बेमेतरा (छ.ग.)	कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी साजा जिला-बेमेतरा (छ.ग.)

शर्तें:-

- मासिक संविदा वेतन एकमुश्त राशि 15000/- (अक्षरी- पन्द्रह हजार रुपये) प्रतिमाह की दर से देय होगी ।
- उपरोक्त दर्शित मासिक संविदा वेतन के अलावा किसी भी प्रकार के भत्ते की पात्रता नहीं होगी ।
- यह संविदा नियुक्ति एक वर्ष के लिए होगी । कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर अवधि बढ़ाई जा सकती है । या कार्य संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर एक वर्ष पूर्व भी सेवा समाप्त की जा सकती है ।
- संविदा नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी जिसे बिना पूर्व सूचना के कभी भी समाप्त किया जा सकता है । योजना अवधि पूर्ण होने या शासन द्वारा राशि उपलब्ध कराये जाने तक ही जो भी पहले हो तक ही अस्तित्व में रहेंगे । उसके पश्चात ये पद स्वमेव ही समाप्त हो जावेगी ।
- संविदा नियुक्ति के अधीन वेतन वृद्धि की पात्रता नहीं होगी ।
- आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस के भीतर कार्यालय प्रोजेक्ट डायरेक्टर (आत्मा) सह उप संचालक कृषि जिला-बेमेतरा (छ.ग.) में उपस्थिति देवे/अन्यथा आदेश स्वमेव निरस्त मानी जावेगी ।
- नियुक्ति के दौरान दोनो में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है ।
- उपस्थिति के समय संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र तथा समस्त मूल दस्तावेज एवं आरक्षित श्रेणी के आवेदको की जाति सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
- संबंधित के कार्य पर उपस्थित होने के समय समस्त अभिलेखों की नियमानुसार स्वयं सत्यापित प्रति कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा ।

10. संविदा नियुक्ति सम्बंधी समस्त अधिकार व निर्णय अध्यक्ष एवं आत्मा गवर्निंग बोर्ड का मान्य होगा।
11. किसी भी प्रकार के अपराधिक कृत्य या शिकायत/गलत जानकारी पाये जाने पर संबंधित की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
12. अन्य शर्तें छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र./एफ-9-1/2012/1-3 रायपुर दिनांक 31.12.2012 द्वारा जारी छ.ग. सिविल सेवा/संविदा/नियुक्ति/नियम 2012 के अधीन होगी।


(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)


 प्रोजेक्ट डायरेक्टर (आत्मा) सह
 उप संचालक कृषि
 जिला- बेमेतरा (छ.ग.)
 बेमेतरा दिनांक 07.02.19

पृ. क्रमांक/कृषि/एक्स.रि./आत्मा/सं.नियुक्ति/2018-19/ 8632

प्रतिलिपि:-

1. सचिव छ.ग. शासन कृषि विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. संचालक कृषि छ.ग. रायपुर को सादर सूचनार्थ।
3. अपर संचालक कृषि एक्सटेंशन रिफार्म्स (आत्मा) संचालनालय कृषि रायपुर को सादर सूचनार्थ।
4. संयुक्त संचालक कृषि दुर्ग संभाग दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
5. कलेक्टर सह अध्यक्ष गवर्निंग बोर्ड जिला-बेमेतरा को सूचनार्थ।
6. उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं जिला- बेमेतरा को सूचनार्थ।
7. प्रमुख वैज्ञानिक कार्यक्रम समन्वयक कृषि विज्ञान केन्द्र बेमेतरा को सूचनार्थ।
8. सहायक संचालक उद्यान बेमेतरा को सूचनार्थ।
9. सहायक संचालक मत्स्य पालन बेमेतरा को सूचनार्थ।
10. अनुविभागीय कृषि अधिकारी बेमेतरा को सूचनार्थ।
11. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी वि.खं.सर्व को सूचनार्थ।
12. संबंधित श्री की ओर पालनार्थ।
13. जिला सूचना अधिकारी (NIC) जिला-बेमेतरा की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करेंगे।
14. कार्यालय स्थापना/आदेश नस्ती।


 प्रोजेक्ट डायरेक्टर (आत्मा) सह
 उप संचालक कृषि
 जिला- बेमेतरा (छ.ग.)